


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असह्यार

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7491 नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 3, 2015/असह्यार 12, 1937
No. 7491 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 3, 2015/AGRAHAYANA 12, 1937

**खान मंगलधर
अधिसूचना**

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 927(अ)—द्वितीय संस्करण, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनायीं हैं, अर्थात् :—

1. **संश्लेष नाम और धारंभ.—**(1) इन नियमों का संश्लेष नाम खनिज (संरक्षणी कंपनी द्वारा खनन) विधाय, 2015 है।
- (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं.—**(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) "अधिनियम" से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) अभिप्रेत है;
 - (ख) "संरक्षणी कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उपधारा (45) में यथा परिभाषित बोर्ड कंपनी अभिप्रेत है; और
 - (ग) "खनिज" से धारा 3 के खंड (द.) में परिभाषित से अन्यथा खनिज और अधिनियम की पहली अनुसूची में भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिज अभिप्रेत हैं।
- (2) शब्द और पद, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं किए गए हैं, परंतु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।
3. **12 जनवरी, 2015 से पूर्व सरकारी कंपनियों या निगमों को प्रवृत्त खनन पट्टे की व्यवधि.—**(1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का 10) के धारंभ की तारीख अर्थात् 12 जनवरी, 2015 से पूर्व किसी संरक्षणी कंपनी या निगम को प्रदत्त खनिजों के लिए सभी खनन पट्टे पत्रास वसं की अवधि को लिए प्रदत्त किए गए समझे जाएंगे।

- (2) राज्य सरकार, सरकारी कंपनी या निगम द्वारा खनन पट्टे की समाप्ति से कम से कम बारह मास पूर्व इस निमित्त इसे दिए गए आवेदन पर, शरणों को लेखबद्ध करते हुए, खनन पट्टे की अवधि को बीस वर्ष की और अवधि के लिए एक ही बार विस्तारित कर सकेगी।
- (3) उपनियम (1) के अन्वयधीन, किसी सरकारी कंपनी या निगम द्वारा खनन पट्टों के नवीकरण के लिए किए गए सभी आवेदन और जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का 10) के प्रारंभ की तारीख को संविद थे, खनन पट्टे की अवधि के विस्तारण के लिए आवेदन समझे जाएंगे और उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार निपटाए जाएंगे।
4. **12 जनवरी, 2015 को या उसके पश्चात् सरकारी कंपनियों या निगमों को प्रदत्त खनन पट्टे की अवधि.**—
- (1) किसी सरकारी कंपनी या निगम को खनिजों के लिए प्रदत्त सभी खनन पट्टे पचास वर्ष की अवधि के लिए होंगे।
- (2) किसी सरकारी कंपनी या निगम को अधिनियम की धारा 10ख और धारा 11 के उपबंधों के अनुसार प्रदत्त कोई खनन पट्टा पचास वर्ष की अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा और विस्तारित नहीं किया जाएगा।
- (3) राज्य सरकार जिसने सरकारी कंपनी या निगम द्वारा इस निमित्त आवेदन पर अधिनियम की धारा 17क की उपधारा (2क) और उपधारा (2ख) के उपबंधों के अनुसार खनन पट्टा प्रदान किया था, कम से कम बारह मास पूर्व कारणों को लेखबद्ध करते हुए, खनन पट्टे की अवधि को बीस वर्ष की और अवधि के लिए एक ही बार विस्तारित कर सकेगी।
5. **अधिनियम की धारा 17क की उपधारा (2ग) के अधीन किसी सरकारी कंपनी या निगम द्वारा संदाय.**—
- (1) कोई सरकारी कंपनी या निगम या कोई संयुक्त उपक्रम जिसे अधिनियम की धारा 17क की उपधारा (2क) और (2ख) के उपबंधों के अनुसार खनन पट्टा प्रदत्त किया गया है, प्रत्येक मामले में वैदेशीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अधिनियम की दूसरी अनुसूची के संबंध में, संदत्त रायल्टी की प्रतिशतता के समान रकम संदत्त करेगा।
- (2) सरकारी कंपनी या निगम राज्य सरकार को उपनियम (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट संदाय करेगा।
- (3) सरकारी कंपनी या निगम ऐसी अन्य रकम का संदाय भी संबंधित प्राधिकारियों को करेगा, जो तत्समर्थ प्रदत्त किसी विधि के अधीन अपेक्षित हो, जिसके अंतर्गत,—
- (i) राज्य सरकार को रायल्टी या अनिवार्य भाटक;
- (ii) राष्ट्रीय खनिज खोज न्याय को संदाय; और
- (iii) जिला खनिज फाउंडेशन को संदाय, है।

[क्र. सं. 1/13/2015-एम. VI]

शर. श्रीधरन, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2015

G.S.R. 927(F).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Mineral (Mining by Government Company) Rules, 2015.
- (2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
- (a) "Act" means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957);

- (b) "Government company" means a company as defined in sub-section (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); and
- (c) "minerals" means minerals other than those defined as minor minerals under clause (c) of section 3 and minerals specified in Part A and Part B of the First Schedule to the Act.
- (2) Words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.
- 3. Period of mining lease granted to Government companies or corporations before 12th January, 2015.—(1) All mining leases for minerals granted to a Government company or corporation before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), namely, the 12th January, 2015 shall be deemed to have been granted for a period of fifty years.**
- (2) The State Government, upon an application made to it in this behalf by the Government company or corporation at least twelve months prior to the expiry of the mining lease, may, for reasons to be recorded in writing, extend the period of the mining lease for further periods of upto twenty years at a time.
- (3) Subject to sub-rule (1), all applications made by a Government company or corporation for renewal of mining leases and which were pending as on the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015) shall be deemed to be applications for extension of the period of the mining lease and shall be disposed of in accordance with the provisions of sub-rule (2).
- 4. Period of mining lease granted to Government companies or corporations on or after 12th January, 2015.—**
- (1) All mining leases granted to a Government company or corporation for minerals shall be for a period of fifty years.
- (2) A mining lease granted to a Government company or corporation in accordance with the provisions of section 10B and section 13 of the Act shall expire at the end of the period of fifty years and shall not be extended.
- (3) The State Government, upon an application made to it in this behalf by the Government company or corporation granted a mining lease in accordance with the provisions of sub-sections (2A) and (2B) of section 17A of the Act, at least twelve months prior to the expiry of the mining lease, may, for reasons to be recorded in writing, extend the period of the mining lease for further periods of up to twenty years at a time.
- 5. Payments by a Government company or corporation under sub-section (2C) of section 17A of the Act.—(1) A Government company or corporation or a joint venture, granted a mining lease in accordance with the provisions of sub-sections (2A) and (2B) of section 17A of the Act, shall pay an amount equivalent to a percentage of the royalty paid in terms of the Second Schedule to the Act, as notified by the Central Government in each case.**
- (2) A Government company or corporation shall make payments to the State Government as specified under sub-rule (1).
- (3) A Government company or corporation shall also pay such other amounts as may be required under any law for the time being in force to the concerned authorities, including,
- (i) royalty or deal rent to the State Government;
 - (ii) payment to the National Mineral Exploration Trust; and
 - (iii) payment to the District Mineral Foundation.

[F. No. 1/13/2015-M.V.]

R. SRIDHARAN, Addl. Secy.